भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1644

10.03.2025 को उत्तर के लिए

तमिलनाडु में रामसर स्थल

1644. श्री एस. जगतरक्षकन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए तमिलनाडु सहित राज्यवार और वर्षवार धनराशि के आबंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार द्वारा उठाए गए कदम देश में रामसर स्थलों के क्षरण को दूर करने में सफल रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए) के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान 27 रामसर स्थलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए तमिलनाडु सहित संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 44.84 करोड़

रुपये की वित्तीय सहायता (केंद्रीय साझेदारी की राशि) प्रदान की गई। इन निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एण्ड सीसी) ने एनपीसीए की केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के अलावा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत देश भर में आर्द्र भू-खण्डों (रामसर स्थलों सहित) के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विनियामक ढांचे के रूप में आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को अधिसूचित किया है। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट डंपिंग, अनुपचारित अपशिष्टों और बहि:स्रावों के निस्सरण को प्रतिबंधित किया गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामसर स्थलों के विशिष्ट संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2023 में 'अमृत धरोहर' पहल शुरू की है। इसके मुख्य घटक प्रजाति और पर्यावास संरक्षण, प्रकृति पर्यटन, आर्द्रभूमि से संबंधित आजीविका और आर्द्रभूमि में कार्बन का आकलन हैं। 'अमृत धरोहर' के तहत विभिन्न पहलों जैसे कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) द्वारा प्रकाशित क्रमशः रामसर स्थलों की वनस्पतियों और जीवों की सूची, हरित कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रकृति गाइडों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल, पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से स्थानीय समुदाय के 196 सदस्यों को प्रकृति गाइड के रूप में प्रशिक्षण और एनसीईआरटी के माध्यम से विकसित शैक्षिक वीडियो की श्रृंखला ने रामसर स्थलों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए हितधारकों के क्षमता संवर्धन में मदद की है।

*****

अनुबंध

'तमिलनाडु में रामसर स्थल' के संबंध में सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1644 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

(राशि लाख रुपये में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-
2.	असम	-	-	-	-	-
3.	बिहार	43.754	-	-	-	-
4.	गुजरात	114.558	-	-	-	20.58
5.	गोवा	-	-	-	-	-
6.	हरियाणा	48.63	-	-	-	-
7.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-
8.	जम्मू और कश्मीर	36.00	-	-	900.00	-
9.	झारखंड	-	-	-	-	-
10.	कर्नाटक	-	-	-	-	-
11.	केरल	-	-	-	-	-
12.	लद्दाख	-	-	-	-	-
13.	मध्य प्रदेश	156.06	-	-	-	-
14.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-
15.	मणिपुर	-	-	-	-	100
16.	मिजोरम	96.85	75.35	154.212	39.47	59.20
17.	ओडिशा	410.00	537.00	165.00	-	127.50
18.	पंजाब	-	-	-	-	-
19.	राजस्थान	-	-	-	-	-
20.	सिक्किम	106.20	-	-	-	-
21.	**तमिलनाडु**	**137.22**	**-**	-	-	-
22.	त्रिपुरा	312.83	-	-	-	-
23.	उत्तर प्रदेश	61.70	57.84	36.53	-	107.49
24.	उत्तराखंड	-	-	-	-	-
25.	पश्चिम बंगाल	429.10	-	-	-	149.93
	कुल	**1952.90**	**671.02**	**355.75**	**1089.40**	**414.77**

कुल योग: **4483.84 लाख** या **44.84 करोड़ रुपये**